



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 04.10.2026

◆ चन्दौली पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर को भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब व ट्रक के साथ किया गया गिरफ्तार।

◆ स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना सैयदराजा पुलिस की संयुक्त त्वरित कार्यवाही में 01 ट्रक वाहन से 1185 पेटी (10,451.52 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब की बरामदगी करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

◆ पुलिस को गुमराह करने के लिए ट्रक में लकड़ी के बुरादे की बोरियों के नीचे छिपाकर रखी गयी थी शराब।

◆ 1185 पेटी में विभिन्न ब्रांडों (KINGS GOLD, IMPERIAL BLUE, MCDOWELL, PARTY SPECIAL, SUPER JUBILEE) की कुल 10451.52 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद।

◆ बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग ₹ 1 करोड़ 50 लाख रुपये।

◆ बुरादे की आड़ में हरियाणा से बिहार ले जायी जा रही थी अवैध शराब; 01 तस्कर गिरफ्तार, प्रयुक्त ट्रक बरामद।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक स्वाट सेल राम जन्म यादव, प्रभारी सर्विलांस सेल उ0नि0 आशीष मिश्रा व थानाध्यक्ष सैयदराजा अशोक कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर काले शाह बाबा की मजार (NH-19 हाईवे, उत्तरी लेन) के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान चन्दौली की तरफ से आ

रहे एक संदिग्ध ट्रक (सं० MH 18 BZ 7720) को पुलिस टीम द्वारा सतर्कतापूर्वक रोका गया।

ट्रक से उतरकर भागने का प्रयास कर रहे चालक को पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मौके से पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान शेरा राम उर्फ सुरेश कुमार पुत्र बाला राम निवासी टाकुबेरी, थाना सिन्धारी, बाड़मेर (राजस्थान) उम्र करीब 23 वर्ष के रूप में हुई।

ट्रक के डाले की सघन तलाशी लेने पर पीछे रखी पीली प्लास्टिक की बोरियों में भरे लकड़ी के बुरादे की आड़ में छिपाकर रखी गई विभिन्न ब्रांडों की कुल 1185 पेटी (10451.52 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह पैसों के लालच (₹ 1 लाख रुपये) में पानीपत (हरियाणा) के पास एक अज्ञात व्यक्ति से शराब लदा ट्रक लेकर बिहार में ऊंचे दामों पर बेचने हेतु जा रहा था। रास्ते में पुलिस से बचने के लिए उसने ऊपर लकड़ी के बुरादे की बोरियाँ लाद रखी थीं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शेरा राम उर्फ सुरेश कुमार पुत्र बाला राम, निवासी टाकुबेरी, थाना सिन्धारी, तहसील सिन्धारी, जनपद बाड़मेर, राज्य राजस्थान (उम्र करीब 23 वर्ष)।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं०- /2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण-

कुल अवैध अंग्रेजी शराब: 1185 पेटी (कुल मात्रा: 10451.52 लीटर)

Kings Gold Whisky: 750ml (96 पेटी), 180ml (108 पेटी)

Imperial Blue Whisky: 750ml (100 पेटी), 375ml (100 पेटी), 180ml (145 पेटी)

McDowell's Whisky: 750ml (149 पेटी), 375ml (100 पेटी), 180ml (199 पेटी)

Party Special Whisky: 750ml (47 पेटी), 180ml (49 पेटी)

Super Jubilee Whisky: 180ml (92 पेटी)

अनुमानित कीमत: करीब ₹ 1 करोड़ 50 लाख रुपये

वाहन: 01 ट्रक अशोक लेलैण्ड (सं० MH 18 BZ 7720)

अन्य बरामदगी:

01 आईफोन 15 (मो० सं० 8734069797)

01 इलेक्ट्रॉनिक घड़ी

01 पीली धातु का लाकेट

नकद ₹ 660/- रुपये, पर्स, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड व फोटो।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र, थाना सैयदराजा

उ०नि० बलबीर सिंह, थाना सैयदराजा

का० रतन कुमार, थाना सैयदराजा

का० शंकर राम, थाना सैयदराजा

का० अंकित कुमार सिंह, थाना सैयदराजा

का० राजू सिंह (चालक), थाना सैयदराजा

हे०का० चालक राजेश यादव, थाना सैयदराजा

हो०गा० राम प्रवेश तिवारी, थाना सैयदराजा

स्वाट/सर्विलांस टीम-

नि० रामजनम यादव

उ०नि० आशीष मिश्रा

हे0का0 अरविंद भारद्वाज
हे0का0 आनंद सिंह
हे0का0 राणा प्रताप सिंह
हे0का0 रामानंद यादव
हे0का0 आशुतोष सिंह
हे0का0 सतीश पटेल
हे0का0 दीपक मिश्रा
हे0का0 आदित्य पाण्डेय
हे0का0 प्रेम प्रकाश यादव
का0 नीरज कुमार तिवारी
का0 अजीत कुमार सिंह
का0 अमित सिंह
का0 महेश यादव
का0 गणेश तिवारी
का0 मनोज यादव
का0 संदीप कुमार